(14)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, मध्यप्रदेश, सर्किट कोर्ट रीवा,
R. 5053-2015

जिला–रीवा. (म.प्र.)

विश्वनाथ प्रसाद पिता श्री मनकामना प्रसाद ब्राह्मण, उम्र 70 वर्ष, पेशा कृषि, निवासी ग्राम पटहट, तहसील जवा, जिला रीवा, (म.प्र.)

.... आवेदक / अपीलार्थी

बनाम

रमाकान्त तिवारी पिता श्री जगदीश प्रसाद तिवारी, निवासी ग्राम पटहट, तहसील जवा, जिला रीवा, (म.प्र.)

.... अनावेदक / उत्तरवादी

अपील विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त महोदय, रीवा संभाग, रीवा, (म0प्र0) के प्रकरण क्र. 235 / अपील / 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 25.01.2016

अपील अन्तर्गत धारा 44(1)(G) मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 ईस्वीं।

मान्यवर,

अपील के आधार निम्नलिखित हैं :–

1. यह कि आराजी नं. 254, ग्राम पटहट, पटवारी हल्का इटमा, तहसील जवा, जिला रीवा, म0प्र0 में स्थित है। उक्त भूमि अपीलार्थी के पिता मनकामता प्रसाद के नाम पर थी। अपीलार्थी चार भाई थे जिनका सजरा निम्न है :–

मनकामना

विश्वनाथ	युदनाथ (फौत)	रोहिणी	नारेन्द्र

(36)

विश्वनाथ प्रसाद / रामाकांत तिवारी

R-5053-II/15

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-7-17.	1- प्रकरण पेश। 2- आवेदक तथा अभिभाषक की पुकार कराई गयी किन्तु सूचना उपरांत लगातार तीन पेशियों से उपस्थित नहीं हो रहे हैं। 3- अनावेदक की ओर से श्री रामनरेश मिश्रा एड्व. उप. । उनके द्वारा लिस्ट कागजात अनुसार अभिलेख प्रस्तुत किया गया है जिसे इस प्रकरण के साथ संलग्न किया गया। 4- चूँकि आवेदक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा 35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 5- आदेश की प्रति अधी. न्याया. को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर द.दा. हो। सदस्य	62/2 अभिभाषक